Submitted to : **Principal Secretary Urban Development, Govt. of U.P. (101/6812,dt. 27 June 07)**

Rationalisation of property/House Tax on Industrial properties with in the Territorial limits of Municipal Corporations

प्रदेश के नगर निगमों द्वारा सम्पत्ति कर आरोपित करने हेतु औद्योगिक सम्पत्तियों को अलग से वर्गीकृत नही किया गया है। अतः औद्योगिक सम्पत्तियों पर वही दरें लागू है जो एक दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान पर लागू है। वाणिज्यिक संस्थानों की तुलना में औद्योगिक आस्थानो का आच्छादित क्षेत्रफल बहुत कम होता है क्योंकि उद्योगों को अनिवार्य रूप से लगभग ६० प्रतिशत से अधिक खाली जमीन फैक्ट्री भवन के इर्द-गिर्द छोड़नी पड़ती है। नगर निगम इस खाली जमीन पर भी सर्किल रेट पर सम्पत्ति कर लगा रहे है।

फलस्वरूप औद्योगिक आस्थानों के सम्पत्ति कर के आगणन इतने अधिक हो रहे है जिन्हे अदा करना उद्योग के बस में ही नही है। उदाहरणार्थ लखनऊ के कुछ उद्योगों पर लगाए गये सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में पत्र जो उन्होने नगर अधिकारी के नाम लिखे है कि प्रतियॉ आपके सुलभ संदर्भ हेतु **संलग्नक (क)** पर प्रेषित है। इन पत्रों से स्पष्ट है कि वर्तमान नियमों के अनुसार उद्योगो पर लगाए जा रहे सम्पत्ति कर में ४० से ७१ गुना वृद्धि हुई है और सम्पत्ति कर हजारों रूपयो से बढ़ कर लाखों रूपयो में हो गया है जो कि न तो व्यवहारिक है और न ही तर्क संगत है।

आई०आई०ए० का आपसे विनम्र अनुरोध है कि नगरों में स्थित सम्पत्तियों को चार श्रेणियों यथा आवासीय, व्यावसायिक, इंस्टीटयूश्नल एवं औद्योगिक में विभाजित कर अलग - अलग कर का निर्धारण करने की कृपा करें जैसा कि शासनादेश संख्या १६/नी-६/ २००३ में तत्कालीन प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा गृहकर के लिए ओ०टी०एस० स्कीम में किया था। आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस ओ०टी०एस० स्कीम का शासनादेश संख्या १६/नी-६-२००३-६७ ज/६७ दिनांक २७ मई २००३ **संलग्नक (ख)** पर प्रेषित है। औद्योगिक आस्थानों के लिए इस प्रकार युक्तीसंगत कर निर्धारण होने से जहॉ एक ओर नगर निगमों को कर की प्राप्ति समयानुसार होगी वही उद्योगों को भी इस समस्या से राहत मिलेगी।

आशा है आप हमारे इस प्रस्ताव पर सहानुभूमि पूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेने की कृपा करेंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा हेतु आई०आई०ए० का प्रतिनिधिमण्डल आपसे भेट करने का भी इच्छुक है। इस भेट हेतु सुविधाजनक तिथि एवं समय निर्धारित कर सूचित करने की कृपा करें।